न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अलवर
पीठासीन अधिकारी – श्री प्यारे लाल सोठवाल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	तारीख दायर	तारीख निर्णय
1/82/2022	01.06.2022	06.07.2022

बउनवान

1. दीपक गर्ग पुत्र श्री मुरलीधर गर्ग, जाति महाजन, उम्र करीब 42 वर्ष, निवासी मकान नं. 40, बैंक कॉलोनी, अलवर हाल निवासी फ्लैट नं 101, वण्डर हाईट, अपोजिट, मालवीय नगर, अलवर (राज०)

प्रार्थी

बनाम

1. अमित पुत्र श्री मोहम्मद जाफर, जाति नट
2. शारीका पुत्री श्री मोहम्मद जाफर, जाति नट
3. समिता पुत्री श्री मोहम्मद जाफर, जाति नट निवासीयान ग्राम जाहरखेडा, तहसील व जिला अलवर (राज०)
4. राजस्थान सरकार जरिये जिला तहसीलदार, अलवर (राज०)

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकार अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अधीन अनुज्ञा हेतु ।

निर्णय

वादी ने वाद अन्तर्गत धारा 251 (क) राज. काश्त. अधि. प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी काश्तकारी की आराजी भूमि हाल खसरा नं. 1543/1355 रकबा 0.09 है0, 1546/1356 रकबा 0.09 है. कुल किता 2 रकबा 0.18 है. एवं खसरा नं. 1417 रकबा 1.33 है. वाके ग्राम जाहरखेडा, तहसील व जिला अलवर (राज०) में स्थित है, जिसका प्रार्थी रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। उपरोक्त आराजी पर मिन प्रार्थी बहैसियत मालिक खातेदार काश्तकार काबिज होकर काश्तकारी करता चला आ रहा है तथा उपरोक्त आराजी पर ही कृषि यंत्र रखने के लिए तथा पशुधन रखने के लिए मिन प्रार्थी कुछ कच्चा पक्का निर्माण करना चाहता है। प्रार्थी की खातेदारी काश्तकारी की आराजी खसरा नं. 1543/1355 एवं 1546/1356 एक दुसरे के लगती हुई है. जिन आराजीयात के तरफ पश्चिम दिशा में अप्रार्थीगण की खातेदारी काश्तकारी की आराजी खसरा नं. 1416 है एवं उसके पश्चात तरफ पश्चिम दिशा में ही प्रार्थी की खातेदारी काश्तकारी की आराजी खसरा नं. 1417 है। अर्थात मिन प्रार्थी की खातेदारी काश्तकारी

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

की आराजीयात के मध्य अप्रार्थीगण की खातेदारी काश्तकारी का आराजी खसरा नं. 1416 स्थित है। प्रार्थी की खातेदारी काश्तकारी की आराजी खसरा नं. 1543/1355 लंबे सड़क है, जिसके चलते प्रार्थी उक्त खसरा नं. 1543/1355 एवं उसके तरफ पश्चिम दिशा में लगते हुई आराजी खसरा नं. 1546/1356 का उपयोग उपभोग करता है। परन्तु प्रार्थी की खातेदारी के खसरा नं. 1417 में आवागमन का कोई रास्ता मौजूद नहीं है। प्रार्थी प्रारम्भ से ही अप्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी खसरा नं. 1416 में स्थित कच्चे रास्ते से खसरा नं. 1417 में आवागमन करता है, कृषि यंत्र, फसल, बीज आदि लाता ले जाता है। प्रार्थी अपनी खातेदारी की आराजी खसरा नं. 1417 में प्रारम्भ से ही अप्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी खसरा नं. 1416 में स्थित कच्चे रास्ते से आता जाता है, जिसमें आवागमन में वर्तमान में अप्रार्थीगण, प्रार्थी को रुकावट मजाहमत उत्पन्न करते है जिसके चलते प्रार्थी अपनी खातेदारी के खसरा नं. 1417 का उचित प्रकार से उपयोग उपभोग नहीं कर पा रहा है। खसरा नं. 1417 में आवागमन का एकमात्र रास्ता अप्रार्थीगण की खातेदारी के खसरा नं. 1416 में से होकर है, जो कि प्रार्थी की खातेदारी के आराजी खसरा नं. 1543/1355 एवं 1546/1356 जो कि लंबे सड़क है, से आवागमन का लघुतम रास्ता है। उक्त रास्ते का अंकन राजस्व रिकार्ड में नहीं होने का अप्रार्थीगण नाजायज फायदा उठाना चाहते हैं और मिन प्रार्थी को उक्त रास्ते में आने जाने में बाधा उत्पन्न कर रहे है तथा प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि खसरा नं 1546/1356 से खसरा नं. 1417 में आने जाने नहीं दे रहे हैं। वादी ने निवेदन किया कि अप्रार्थीगण के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी हाल खसरा नं. 1416 रकबा 0.62 है वाके ग्राम जाहरखेडा, तहसील व जिला अलवर में से 40 फुट चौडा मार्ग (रास्ता) दिलाया जावे, प्रार्थी तयशुदा प्रतिफल अदा करने को तैयार है एवं उक्त रास्ते का अंकन राजस्व रिकार्ड में कराया जावे एवं अप्रार्थीगकण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जावे कि प्रार्थी की खातेदारी के खसरा नं. 1417 में आवागमन एवं कृषि यंत्र ट्रैक्टर आदि ले जाने में कोई रुकावट एवं बाधा उत्पन्न नहीं करें।

दावा दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण जर्ये साधारण तलवी एवं जरिये अखबार साया तलवी किये गये। प्रतिवादीगण की अखबार साया तलवी जारी करने के उपरान्त कोई हाजिर अदालत नही आये। अतः प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही कर उपतहसीलदार बहादरपुर से मौके की रिपोर्ट ली गई। उपतहसीलदार बहादरपुर ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया कि प्रकरण दीपक बनाम अमित राजस्व बाद अन्तर्गत धारा 251 ए राज0 काश्त0 अधि0 में हाल ऑनलाइन जमावन्दी में आराजी .खसरा नम्बर 1416 रकबा 0.62 किस्म बारानी 2 अमित पुत्र मोहम्मद जाफर हि 1/3 सारिका पुत्री मोहम्मद जाफर हि. 1/3 समिता पुत्री मोहम्मद जाफर हि. 1/3 जाति नट के नाम रिकार्ड दर्ज है। वादी दीपक गर्ग अपनी कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 1417 पर आने जाने हेतु धारा 251 ए के तहत रास्ता चाहता है उक्त वादी के लिए उक्त खसरा नम्बर 1416 मे से ही रास्ता सुगम एवं सुविधाजनक है। इसके अलावा अन्य कोई रास्ता खसरा नम्बर 1417 पर नहीं जाता है। मोके पर उक्त भूमि पर आने जाने हेतु ख.न. 1416 मे से 32X12 मीटर रास्ता चाहता है।

हमने वकीलवादी की वहस सुनी पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं उपतहसीलदार बहादरपुर की रिपोर्ट पर मनन किया वादी ने अन्य खातेदार की जोत मे से होकर विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया है। राज0 काश्त0 अधि0 1955 की धारा 251 (क) के पैरा (ii) में स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया है कि आवेदक को, अभिधारी जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम 3 फुट नीचे पाईपलाईन विछाने के लिये या ऐसे ट्रैक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि मे से होकर, और यदि ऐसा ट्रैक दर्शित नही किया जावें, तो लघुतम या निकटतम रूप से होकर एक नया मार्ग जो 30 फुट से चौडा अधिक न हो, बनाने के लिए या विद्यमान मार्ग को 30 फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौडा करने के लिए उस अभिधारी को जो उस भूमि को धारित करता है। जिसमें से होकर पाईपलाईन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौडा करने का अधिकार मंजूर किया। उपतहसीलदार बहादरपुर ने वादी की खातेदारी भूमि आराजी खसरा नम्बर 1417 पर आने जाने हेतु खसरा नम्बर 1416 मे से ही रास्ता सुगम एवं सुविधाजनक होना बताया है। उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता खसरा नम्बर 1417 पर नही जाना अंकित किया है। उपरोक्त विवेचनानुसार वाद–वादी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वाद–वादी विरूद्ध प्रतिवादी स्वीकार किया जाता है। वादी की आराजी खसरा नम्बर 1417 पर आवागमन हेतु खसरा नम्बर 1416 वाके ग्राम जाहरखेड़ा में से 30 फुट चौडा रास्ता कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। वादी उपरोक्त रास्ते के प्रयोग में ली गई 30 फुट आराजी की वर्तमान प्रचलित दर से राशि जमा कराने के तदोपरान्त उपतहसीलदार बहादरपुर को आदेश दिये जाते है कि नक्शा व जमाबन्दी में रास्ते का अमल दरामद करें। अहकाम जारी हो।

(प्यारे लाल सोठवाल)
उपखण्ड अधिकारी
अलवर

य आज दिनांक 06.07.2022 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(प्यारे लाल सोठवाल)
उपखण्ड अधिकारी
अलवर